दण्ड न्यायालयों का गठन एवं कार्यविधि

Prepared By-

Gaurav Rana (Computer Teacher)

Police Training College

Moradabad

Presented By-
S K Sharma (SPO)
Police Training College
Moradabad

अध्याय –2

दण्ड न्यायालयों का गठन एवं कार्यविधि

नई दण्ड प्रक्रिया संहिता (1973) में महत्वपूर्ण संशोधन यह किया गया है कि मजिस्ट्रेट न्यायालयों को दो वर्गो में बॉटा गया है। 1–न्यायिक मजिस्ट्रेट– न्यायिक मजिस्ट्रेट उच्च न्यायालय के अधीन रहते हुए सुद्धतः न्यायाकि कार्य करते हैं। 2– कार्यपालक मजिस्ट्रेट– कार्यपालक मजिस्ट्रेट राज्य सरकार के अधीन रहते हुए प्रशासकीय प्रकृति के कार्य जैसे निरोधात्मक कार्यवाही आदि के कार्य करते हैं।

इस प्रकार न्याय पालिका एवं कार्यपालिका को अलग–अलग कर दिया गया है।

धारा–6:– दण्ड न्यायालयों के वर्ग– प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालयों तथा विधि के अधीन गठित न्यायालयों के अतिरिक्त निम्न वर्ग के दण्ड न्यायालय होगे:–

1–सत्र न्यायालय, 2– प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और किसी महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय, 3– द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय, 4– कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय

धारा 7:– प्रादेशिक खण्ड– प्रत्येक जिले में एक सत्र न्यायाधीश का न्यायालय होगा, जिसे राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद गठित करेगी।

धारा 8:– महानगर क्षेत्र– ऐसे नगर या शहर, जिनकी आबादी दस लाख से अधिक है राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा महानगर क्षेत्र घोषित कर सकती है। उत्तर प्रदेश में कानपुर शहर में इस प्रकार की व्यवस्था प्रचलित है।

धारा 9– सेशन न्यायालय– राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खण्ड (जिला) के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगी, जिसमें एक न्यायाधीश होगा, जो उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जायेगा तथा उच्च न्यायालय प्रत्येक जिले में अपर सेशन न्यायाधीश एवं सहायक सेशन न्यायाधीश की नियुक्ति करेगी।

धारा 10– सहायक सेशन न्यायाधीश एवं अपर सेशन न्यायाधीश जनपद में सेशन न्यायाधीश के अधीन होगे।

धारा 11–(1) न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय प्रत्येक जिले में प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेटों के न्यायालय राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद अधिसूचना द्वारा स्थापित करेगी।

(2)– ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किये जायेगे।

(3)– उच्च न्यायालय सिविल न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीशों को प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियॉ प्रदान कर सकते है।

धारा 12— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय—

1— उच्च न्यायालय प्रत्येक जिले में एक प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा।

2— उच्च न्यायालय किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है, जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सब या कोई शक्तियॉ प्राप्त होगी।

3— इसी प्रकार उच्च न्यायालय उपखण्ड में किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपखण्ड न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है।

धारा 13— विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट— केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के अनुरोध पर उच्च न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसने सरकार के अधीन कोई पद धारण किया हो या जिसे उस मामले से संबंधित विधि का ज्ञान हो विशेष वर्ग के अपराधों के निस्तारण के लिए विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है। नियमावली के अनुसार ऐसा व्यक्ति चार वर्ष की अवधि या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो कार्य कर सकेगा।

धारा 14– न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता

धारा 15– न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना–

1– प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा और प्रत्येक अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के साधारण नियन्त्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीन होगा।

2– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के मध्य समय–समय पर कार्य वितरण कर सकते है तथा इस संबंध में विशेष आदेश दे सकते हैं।

धारा 16, 17, 18, 19 के अन्तर्गत महानगर मजिस्ट्रेट एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, विशेष महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन है, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों की शक्ति एवं कार्यों के समान है।

धारा 21— विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेटः— यह धारा राज्य सरकार को 1— विशिष्ट क्षेत्रों के लिए या (2) विशिष्ट कृत्यों का पालन करने के लिए विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करती है।

माल या मुल्जिम की शिनाख्त करने वाले मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति इसी धारा के अन्तर्गत की जाती है।

न्यायालयों की शक्ति

धारा 26— न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है—

(1क) भारतीय दण्ड संहिता के अधीन किसी अपराध का विचारण—

उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है।

सेशन न्यायालय द्वारा किया जा सकता है।

किसी अन्य ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, जिसके द्वारा उसका विचारणीय होना प्रथम अनुसूची में दिखाया गया है।

(ख) किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध का विचारण जब उस विधि में न्यायालय का उल्लेख हो तब उस न्यायालय द्वारा किया जायेगा और जब उस विधि में न्यायालय का उल्लेख न हो तो तब–

उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है।

किसी अन्य ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, जिसके द्वारा उसका विचारणीय होना प्रथम अनुसूची में दिखाया गया हो।

संशोधन वर्ष 2008 **धारा 26 में नये संशोधन के अनुसारः– भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376, 376क, 376ख, 376ग और 376घ के अपराधों का विचारण यथा साध्य महिला पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जायेगा।**

धारा 323 दण्ड प्रक्रिया संहिता में प्रावधान है कि यदि मजिस्ट्रेट को विचारण के दौरान यह प्रतीत होता है कि अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो वह उसे सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर देगा। इसके अतिरिक्त धारा 193 के अनुसार सत्र न्यायालय को सामान्यतः आरम्भिक अधिकारिता वाले न्यायालय के रूप में संज्ञान लेने की अधिकारिता नही होती।

धारा 27– किशोरो के मामलें में अधिकारिता:– इस धारा का अब व्यवहारिक महत्व नही है क्योकि अब किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधि0 2000 के प्रावधान के बाद इस संहिता की धारा 27 के प्रावधान महत्व नही रखते है।

धारा 28– दण्डादेश जो उच्चन्यायालय और सेशन न्यायालय दे सकेगें:– (1) उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दण्डादेश दे सकता है।

विधि द्वारा प्राधिकृत दण्डादेश– भा0द0वि0 की धारा 53 में निम्न दण्डों की व्यवस्था है–

1– मृत्यु दण्ड

2– आजीवन कारावास (substituted for transportation-1955)

3– निरसित

4– कारावास, जो भॉति का है।

कठिन अर्थात कठोर श्रम के साथ

सादा

5– सम्पत्ति का समपहरण

6– अर्थदण्ड

(2) सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दण्डादेश दे सकता है परन्तु मृत्यु दण्डादेश के उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट किये जाने की आवश्यकता होगी।

धारा 354(3) द0प्र0सं0 के अनुसार यदि अभियुक्त को मृत्युदण्ड दिया जाता है तो न्यायालय ऐसा करने के विशेष कारणों का उल्लेख करेगा।

(3) सहायक सेशन न्यायाधीश दस वर्ष तक की अवधि के कारावास का दण्डादेश दे सकता है।

धारा 29– दण्डादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेगें– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय सात वर्ष तक के कारावास का दण्डादेश दे सकेगें।

(2) प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय तीन वर्ष तक की अवधि के कारावास या दस हजार रूपये के जुर्माने या दोनों का दण्डादेश दे सकेगा।

(3) द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय एक वर्ष तक की अवधि का कारावास या पॉच हजार रूपये जुर्माना या दोनों का दण्डादेश दे सकेगा।

(4) मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ और महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय को प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ होगी।

धारा 30– जुर्माना देने पर व्यत्तिक्रम होने पर कारावास का दण्डादेश–

(1) किसी मजिस्ट्रेट का न्यायालय जुर्माने देने पर व्यत्तिक्रम होने पर इतने अवधि के कारावास से दण्डित कर सकता है, जो कानून द्वारा अधिकृत है परन्तु वह अवधिः–

क– धारा 29 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक नही होगी।

ख– जहाँ कारावास मुख्य दण्डादेश के भाग के रूप में दिया गया है वहा उस कारावास की अवधि के चौथाई से अधिक न होगी, जिसको मजिस्ट्रेट उस अपराध के लिए दण्ड के तौर पर देने में सक्षम है।

जुर्माने के संबंध में प्रावधान भा0द0वि0 की धारा 63 से 70 में दिये गये है। उच्च न्यायालय तथा सेशन न्यायालय को जुर्माना लगाने की कोई सीमा नही है परन्तु भा0द0वि0 की धारा 63 के अनुसार यह बहुत अधिक नही होगी। सामान्यतः यह न्यायालय का विवेकाधिकार होता है।

धारा 31– एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोषसिद्ध होने के मामलों में दण्डादेशः– इस धारा के अनुसार एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए किसी अपराधी को दण्डित किया जाता है तो दण्डादेश कैसे पारित किया जायेगा, यह बताया गया है। यदि न्यायालय ने यह निर्देश न दिया हो कि दण्ड साथ–साथ भोगें जायेगें तो वह ऐसे क्रम से एक के बाद एक प्रारम्भ होगे, जिसका न्यायालय निर्देश दे परन्तु भा0द0वि0 की धारा 71 के प्राविधानों का ध्यान रखा जायेगा।

धन्यवाद